प्रयागराज विकास प्राधिकरण, प्रयागराज

7वां, 8वां तल, इन्दिरा भवन, सिविल लाइन्स, प्रयागराज, उ0प्र0
ई–मेल आई0डी0:aldda@rediffmail.com

पत्र संख्या : 12 /मु0अ0 /वि0प्रा0/2024 दिनांक :05 मार्च,2024

निविदा आमंत्रण सूचना

प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा निम्न तालिका में अंकित कार्यों हेतु प्र0वि0प्रा0 में सुसंगत श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से कार्य की सीलबन्द निविदा सपठित नियम व शर्तों के अधीन एकल बिड पद्धति में आमंत्रित की जाती है:–

क0 सं0	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रू0 लाख मे)	धरोहर राशि (रू0 लाख में)	निविदा प्रपत्र मूल्य GST सहित (रू0 में)	निर्धारित श्रेणी	कार्य अवधि	निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि व समय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	धोबी घाट टैंक चौक पर सेल्फी प्वाइन्ट का निर्माण एवं विद्युत सम्बन्धी कार्य।	7.06	0.15	236/–	विद्युत "क" श्रेणी	02 माह	15–03–2024 02:00 PM
2	अलखनन्दा अपार्टमेन्ट की बाउण्ड्री स्थल पर कार्नर पर रखे एक ट्रांसफार्मर शिफ्टिंग का कार्य।	1.82	0.04	118/–	विद्युत "क" श्रेणी	01 माह	15–03–2024 02:00 PM

नियम व शर्तें:–

1. विस्तृत विवरण सहित निविदा प्रपत्र दिनांक 07–03–2024 को अपराह्न 02:00 बजे से प्रयागराज विकास प्राधिकरण की वेबसाइट www.pdaprayagraj.org.in से देखें एवं डाउनलोड किये जा सकते हैं।
2. निविदाएं अधिशाषी अभियन्ता–विद्युत के कार्यालय कक्ष में रखे निविदा बाक्स में प्राप्त की जायेंगी
3. प्राप्त निविदायें निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि वाले दिवस पर अपराह्न 3:00 बजे प्राधिकरण सभागार में खोली जायेंगी।
4. निविदा आमंत्रण सूचना से सम्बन्धित संशोधन समाचार पत्र में प्रकाशित न कर उक्त वेबसाइट पर ही अपलोड किये जायेंगे।
5. निविदा शुल्क (नॉन रिफण्डेबल) या धरोहर राशि की रसीद निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
6. निविदा मूल्य व जमानत (धरोहर) धनराशि यूको बैंक, मुख्य शाखा, सरदार पटेल मार्ग, सिविल लाइन्स, प्रयागराज में प्रयागराज विकास प्राधिकरण, प्रयागराज के खाता संख्या–00320204000449 IFSC : UCBA0000032 में NEFT/RTGS के माध्यम से जमा करते हुए प्राप्त यू0टी0आर0 स्लिप (पृथक–पृथक) की स्कैन कापी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
7. यदि किसी कारणवश निविदा खोले जाने की तिथि को यदि अवकाश है तो उसके ठीक अगले कार्य दिवस में निविदा खोली जायेगी।
8. निविदादाता को आयकर विभाग, श्रम विभाग एवं जी0एस0टी0 विभाग में पंजीकरण होना अनिवार्य है। शासन द्वारा समय–समय पर लागू आयकर, लेबर सेस एवं अन्य करों की कटौती पूर्व की भांति ठेकेदार के बिलों से नियमानुसार की जायेगी। जी0एस0टी0 नियमानुसार अतिरिक्त देय होगा।
9. निविदा प्रपत्र एवं निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले सभी प्रपत्रों को निविदादाता द्वारा स्वहस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।
10. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
11. निविदादाता स्वयं स्थल देख लें और सही स्थिति से संतुष्ट होने के बाद ही निविदा में दरें अंकित करें। निविदा की दी गई दरें 03 माह तक मान्य होगी।
12. केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/स्थानीय निकाय द्वारा समय–समय पर लगाये गये करों सहित नियमानुसार अन्य कटौतियाँ लोक निर्माण विभाग व शासन द्वारा जारी नियमों के अनुसार फर्म/ठेकेदार के चलित देयक से की जायेगी।
13. निविदा स्वीकृति की दशा में निविदादाता को भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम–1996 के अन्तर्गत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व श्रम विभाग में पंजीयन सुनिश्चित कराना अनिवार्य होगा।
14. निविदादाता को निविदा में दर्शित मदों के समान प्रकृति के कार्य का अनुभव संलग्न करना होगा। अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न न होने की दशा में निविदा मान्य नहीं होगी।
15. निविदा सूचना प्राधिकरण की वेबसाइट pdaprayagraj.org.in पर पर देखे एवं अपलोड किये जा सकते हैं। इच्छुक निविदादाताओं से अनुरोध है कि वे नियमित रूप से उक्त वेबसाइट को समय–समय पर देखते रहें। निविदाओं के सम्बन्ध में कोई भी संशोधन/परिमार्जन/परिवर्तन व अतिरिक्त सूचनाएं उक्त वेबसाइट पर ही उपलब्ध करायी जायेगी।
16. कार्य की मात्रा में कमी/बढ़ोत्तरी अथवा विभाजित करने अथवा किसी भी निविदा/समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष, प्रयागराज विकास प्राधिकरण में निहित है, जिसके विरुद्ध निविदादाता का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

17. निविदादाता द्वारा दिये गये दस्तावेजों/प्रमाण–पत्रों के गलत पाये जाने पर कार्य/अनुबन्ध की स्वीकृति को तत्काल निरस्त करते हुए ठेकेदार द्वारा जमा धरोहर/जमानत धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा तथा ठेकेदार को काली–सूची में डाल दिया जायेगा। कार्य सम्पादन में विलम्ब किये जाने पर निविदा में प्रतिभाग करने से डिबार कर दिया जायेगा।

18. स्टेट बार काउसिंल में पंजीकृत व्यक्ति एवं आपराधिक रिकार्ड वाले निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं है। साथ ही यदि निविदादाता का सगा सम्बन्धी (First Blood Relation & their dependent) प्रयागराज विकास प्राधिकरण में कार्यरत है तो उसे भी निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं है।

19. आवेदक या पंजीकृत किये जाने वाले ठेकेदार पर कम्प्टीशन एक्ट, 2002 के समस्त प्राविधान लागू होंगे और उनकी अवहेलना करने पर प्राधिकरण को सम्बन्धित ठेकेदार के विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही करने का सम्पूर्ण अधिकार होगा।

20. विद्युत सम्बन्धी कार्य हेतु विद्युत सुरक्षा, यू0पी0पी0सी0एल0 से अनुमोदन लेने एवं कार्य को यू0पी0पी0सी0एल0 को हस्तान्तरित किये जाने की जिम्मेदारी फर्म/ठेकेदार की होगी।

21. यदि कोई निविदादाता बिड रिगिंग/Bid Collusion में सम्मिलित पाया जाता है अथवा निविदा की स्वस्थ प्रतियोगिता की प्रक्रिया को किसी भी प्रकार से दूषित करता है तो उसे भविष्य में होने वाली निविदा में प्रतिभाग करने हेतु प्रतिबन्धित कर दिया जायेगा।

22. प्राधिकरण में सभी निर्माण/विकास/अनुरक्षणीय कार्यों हेतु डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड 02 वर्ष निर्धारित है।

23. 50% निर्धारित समय अवधि के पश्चात् कार्य की वित्तीय प्रगति 25% से कम होने पर सम्बन्धित ठेकेदार को कार्य समापन तक प्राधिकरण की निविदाओं में प्रतिभाग किये जाने हेतु प्रतिबन्धित किया जायेगा।

24. निविदादाताओं को निविदा शुल्क एवं धरोहर धनराशि की RTGS/NEFT के माध्यम से जमा होने की स्लिप/रसीद की मूलप्रति निविदा खोलने के अगले कार्य–दिवस में सम्बन्धित अधिशासी अभियंता के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

5.3.24

मुख्य अभियन्ता

प्रतिलिपि :–